प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 31.08.2025

- **थाना डेरापुर पुलिस द्वारा लूट/टप्पेबाजी की विभिन्न घटनाएं कारित करने वाले टप्पेबाजी गिरोह के 01 नफर शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस व एक अदद मोटरसाइकिल एवं जामा तलाशी से प्राप्त 2250 रुपए बरामद हुए।**
- **अभियुक्त पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30/31.08.2025 की रात्रि में थाना डेरापुर पुलिस द्वारा रूरा-डेरापुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति रूरा की ओर से आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया। किन्तु मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर नहीं रूका और तेजी से मोटरसाइकिल मोड़ कर पीछे की ओर मुड़कर भागने का प्रयास करने में मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। संदिग्धता प्रतीत होने पर पुलिस ने जैसे ही उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति उठ कर सड़क से कच्चे रास्ते से जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रूका और अपने बचाव में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया। जिससे उक्त व्यक्ति के बांये पैर मे गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। घायल व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम शाहरूख पुत्र छोटे अली उर्फ रज्जन निवासी ग्राम औरंगाबाद, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंजा 12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल व 2250 रूपये नकद बरामद हुए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए अभियुक्त उपरोक्त को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में दिनांक 19.08.2025 को ग्राम बहरी उमरी थाना क्षेत्र डेरापुर में एक महिला को झांसे में लेकर अपने साथी शेहरे अली उर्फ शेरे अली उर्फ शेरूआ के साथ मिलकर उनके बाले उतरवाकर ले जाने की घटना स्वीकार की गयी। जामा तलाशी में अभियुक्त से बाले को बेचकर हिस्से में आये 5000/- रूपये में से 2250/- रुपये बरामद हुये। उक्त घटना के संबंध में थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 0157/2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। साथ ही अभियुक्त द्वारा बडौदा बैंक ग्रामीण कस्बा रसूलाबाद में अपने साथी इस्माइल के साथ एक व्यक्ति से 90,000 रूपये की टप्पेबाजी करना स्वीकार किया जिसके संबंध में थाना रसूलाबाद में मु0अ0सं0 273/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत है तथा करीब सात महीने पहले कस्बा मुंगीसापुर में बैक में एक व्यक्ति के साथ 80,000 रूपए गायब करने की बात स्वीकार की, जिसके संबंध में थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 70/2025 धारा 314 बीएनएस पंजीकृत है।

पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 161/2025 धारा 109 बी.एन.एस. एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरूख पुत्र छोटू अली उर्फ रज्जब उर्फ गाड़ी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी नौरंगाबाद लालपुर, थाना रूरा, कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त द्वारा बताया गया कि करीब 10 दिन पहले मुझे और मेरे साथी शेहरे अली उर्फ शेरे अली उर्फ शेरूआ पुत्र अंगूर अली को बहिरी उमरी गाँव के पास सडक के किनारे एक महिला बकरी चराती हुयी मिली थी तो हम लोगो ने उसको अपनी बातो में फंसाकर कि तुम्हारा एक लडका बीमार है, तुम्हारा लडका अगर ठीक हो जायेगा तो ग्यारह कन्याओं का भोज करा देना और इसी तरह महिला से उसके कानों के बाले उतरवाकर हम लोग शेरूआ की मोटरसाइकिल से भाग गये थे और वही बाले

मैंने एक राह चलते व्यक्ति को दस हजार रूपये में बेच दिये थे जिसमें से मैने 5000/- रुपये अपने साथी शेहरे अली उर्फ शेरे अली उर्फ शेरूआ को दिये थे और 5000/- रूपये मेरे हिस्से में आये थे आपको जो पैसे मेरी जेब से मिले है ये उसी महिला के कानों के बाले की बिक्री के बचे हुये पैसे हैं, बाकी पैसे मुझसे खर्च हो गये। अभी मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिये भागा था और यह तमंचा हम लोग रात के वक्त निकलते समय अपनी सुरक्षा के लिये रखते हैं। मैंने व खबुल्ला पुत्र आसीन जो मेरे गांव का ही निवासी है, ने ठण्ड के मौसम में करीब सात-आठ महीने पहले मुंगीसापुर में एक व्यक्ति को बातो में उलझाकर उसकी जेब से 80,000/- रूपये गायब कर दिये थे जो मैंने और खबुल्ला ने आपस में बांट लिये थे। मैंने और इस्माइल जो जल्लापुर सिकन्दरा का रहने वाला है, ने करीब दो महीने पहले बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक कस्बा रसूलाबाद में एक व्यक्ति को अपनी बातो में उलझाकर उसके साथ टप्पेबाजी की थी, जिसमें 90,000/- रूपये मिले थे जिसे मैंने और इस्माइल ने बराबर-बराबर बांट लिया था, जो पैसे मुझसे खर्च हो गये हैं। मैने अपने साथियों के साथ इस प्रकार की काफी घटनाएं की है लेकिन जो मुझे याद थी वह सब आपको बता दी है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व, दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर
2. 2250/ रुपये नगद,
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल टीवीएस राइडर नं0 UP77AS8623 (207 MV Act में सीज)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 181/2019 धारा 307 भादवि0 थाना सिकन्दरा कानपुर देहात,
3. मु0अ0सं0 1068/2017 धारा 392/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात,
4. मु0अ0सं0 1145/2017 धारा 392/411 भादवि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात,
5. मु0अ0सं0 1164/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अकबरपुर कानपुर देहात,
6. मु0अ0सं0 0157/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना डेरापुर, कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0 70/25 धारा 314 बीएनएस, थाना डेरापुर, कानपुर देहात
8. मु0अ0सं0 273/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना डेरापुर पुलिस